संवीक्षा/2005/20,000

पंजीयन संख्या	

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्राप्तांकों की पुनः गणना हेतु आवेदन पत्र

[कृपया संवीक्षा (*RE-TOTALLING*) के शुल्क व नियमों के बारे में पृष्ठ भाग देखें]

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

रूपये .... रसीद सं. ....
दिनांक .... द्वारा जमा हुए।
खजांची

महोदय,

मैं निम्न विषय/विषयों में प्राप्तांकों की पुनः गणना करवाना चाहता/चाहती हूँ। इस हेतु निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर (शुल्क पृष्ठ भाग में लिखें अनुसार) व अंक तालिका की सत्य प्रतिलिपि/फोटो प्रति संलग्न कर रहा/रही हूँ। मेरा पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :—

(1) परीक्षार्थी का नामांक : ....

(2) परीक्षा का नाम सही का चिन्ह [✓] लगावे :

उच्च मा.	माध्यमिक	प्रवेशिका	वरिष्ठ उपाध्याय	ओपन स्कूल

(3) परीक्षार्थी का नाम : ....

(4) पिता का नाम : ....

(5) केन्द्र का क्रमांक : .... विद्यालय का नाम ....
(अंकतालिका में लिखे अनुसार) (केवल नियमित परीक्षार्थी ही लिखें)

(6) विषय जिसमें संवीक्षा करानी है, वे निम्नानुसार हैं।

क्र. सं.	संवीक्षा कराने वाले विषय/ विषयों के नाम	प्राप्तांक				
		प्रथम पत्र	द्वितीय पत्र	सत्रांक	प्रायोगिक	योग
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
परिणाम		प्राप्तांकों का योग				

निर्धारित शुल्क रूपये - .... का पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।

संलग्न :(1) पोस्टल ऑर्डर संख्या/बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक ....रू. ....
(2) अंकतालिका की सत्य प्रतिलिपि

नोट :- संवीक्षा परिणाम जानने के लिये डाक टिकट लगा लिफ़ाफ़ा नहीं भेजें।

परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का पूर्ण एवं स्पष्ट पता जहां संवीक्षा के परिणाम की सूचना दी जाये।

....

....

....

बोर्ड कार्यालय के उपयोग हेतु

परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तक की संवीक्षा के उपरान्त परिणाम परिवर्तित/अपरिवर्तित रहा।

कृते सचिव

संवीक्षा का शुल्क व नियम निम्नानुसार हैं

(1) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय की मुख्य परीक्षा अथवा पूरक परीक्षा में प्राप्तांकों की पुन:गणना (Re-totalling) कराने का शुल्क रू. 75/- (पिचहतर रूपये मात्र) प्रति विषय है। जिन विषय/विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित है उन विषय/विषयों की प्रायोगिक परीक्षा सहित एक विषय माना जावेगा। अत: जितने विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा कराना चाहे, प्रति विषय रू. 75/- के हिसाब से शुल्क भेज दें। पूर्ण शुल्क एवं पूर्ण विवरण के अभाव में उसी विषय की संवीक्षा कार्यालय द्वारा की जावेगी जिसमें छात्र कम अंकों से उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अथवा पूरक योग्य रहा है। अपूर्ण शुल्क प्राप्त होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं शुल्क लौटाया नहीं जावेगा। छात्र से इस सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जावेगा। शुल्क बोर्ड कार्यालय काउन्टर पर नकद जमा कराई जा सकती है अथवा निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट ही इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे। शुल्क धनादेश (Money order) द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(2) संवीक्षा के फलस्वरूप परिणाम /अंक परिवर्तित अथवा अपरिवर्तित रहने की स्थिति में परीक्षार्थी को संवीक्षा शुल्क नहीं लौटाया जाएगा।

(3) संवीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिकाओं की पुन: जाँच (Re-evalution) करना सम्मिलित नहीं है। संवीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं पर दिये गये अंकों की जाँच इस दृष्टि से की जावेगी कि कहीं अलग-अलग प्रश्नों में दिये गये अंकों को जोड़ने की त्रुटि न रह गई हो अथवा कहीं किसी प्रश्न पर अंक देने से न रह गये हों। तदर्थ यह आवेदन पत्र मय निर्धारित शुल्क के बोर्ड कार्यालय में परीक्षा परिणाम की घोषणा तिथि से एक माह की अवधि में अवश्य पहुँच जाना चाहिये। अर्थात् यदि परिणाम 10 मई को घोषित होता है तो अन्तिम दिनांक 09 जून होगी और संवीक्षा हेतु आवेदन पत्र मय शुल्क के कार्यालय में अन्तिम तिथि तक पहुँच जाना चाहिये। उसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(4) छात्र यदि आवेदन पत्र में अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ करेगा तो उसका आवेदन बिना किसी पत्र व्यवहार किये निरस्त कर दिया जावेगा।

(5) परीक्षार्थी को चाहिये कि वह आवेदन पत्र में परीक्षा का नाम, अपना नामांक, विषय /विषयों के नाम जिसमें संवीक्षा करानी हो, का उल्लेख करना न भूलें। आवेदन पत्र में चाही गई सभी वांछित सूचनाओं के अभाव में संवीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

(6) परीक्षार्थी संवीक्षा आवेदन पत्र के साथ अंकतालिका की प्रमाणित प्रति/फोटो प्रति संलग्न करना न भूलें। यदि किसी कारणवश अंकतालिका प्राप्त नहीं हुई है तो परीक्षार्थी इन्टरनेट सूचना के आधार पर अथवा बिना अंकतालिका के भी आवेदन कर सकते है। किन्तु अंकतालिका की फोटो प्रति संलग्न नहीं कर पाने का कारण लिखकर भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ मूल अंकतालिका व अन्य मूल प्रलेख कदापि नहीं भेजें।

(7) यदि परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के योग्य घोषित किया गया है तो उसे पूरक परीक्षार्थ (संवीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा किये बगैर) निर्धारित अवधि में आवेदन कर देना चाहिये।

(8) संवीक्षा के उपरान्त परिणाम अपरिवर्तित रहने की सूचना साधारण डाक से तथा परिवर्तन की सूचना तार द्वारा दी जाती है। यदि तदाशय की सूचना परीक्षार्थी को नवम्बर माह की अन्तिम तिथि तक प्राप्त न हो तो कार्यालय से पत्र व्यवहार अथवा व्यक्तिश: सम्पर्क कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें।

(9) संवीक्षा के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और विवादस्पद स्थिति में इसका न्यायक्षेत्र अजमेर रहेगा।